

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :-12/2023-24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

गुंगा मुण्डा

रोविसन मुण्डरी

-

-

विक्रेता

क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

22.08.23

## आदेश

आवेदक गुंगा मुण्डा पिता लेवडा मुण्डा ग्राम-अनिगडा, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने रोविसन मुण्डरी पिता नाथु मुण्डरी ग्राम-अनिगडा, थाना-खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)
अनिगडा	73	18	622	0.06


उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद 0137246867 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 557 दिनांक 17.08.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैथत का नाम दुरगन मुण्डा बल्द आरा पडवा मुण्डा धनै० हैं। पंजी II के अनुसार मनी मुण्डा धनै० के नाम भूमि का 34.17 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 2.84¼ एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2021-22 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित 35968.00(पैंतीस हजार नौ सौ अड़सठ) रु० प्रति डीसमिल है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 2.78¼ एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरुआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसारेहिन्द, भूहदयन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किरती प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण गुंगा मुण्डा पिता लेवडा मुण्डा को रोविसन मुण्डरी पिता नाथु मुण्डरी के साथ ग्राम-अनिगडा के खाता सं० 18 खेसरा संख्या 622 कुल रकबा 0.06 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 35968.00(पैंतीस हजार नौ सौ अड़सठ) रु० प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं रांशोधित  
  
 भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
 खूँटी।

  
 भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
 खूँटी।